acquisition, provision of power and water supply etc. for purposes of commencing construction. Preparatory works relevant to construction stage will also be started. It is also proposed to appoint a full time officer at the project site.

Technical assistance for the building of ships in the Shipyard will be subject to separate negotiations and agreements between the Government of India and M/s. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. at the appropriate time. M/s. Mitsubishi Heavy Industries have assured us of their readiness to collaborate in this stage also.

I am happy that with the positive steps I have outlined above, the project has reached a definitive stage for purposes of implementation.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : I want to thank the Minister. I hope there will not be any more slip between the cup and the lip.

SHRI D. C. SHARMA *rose*—

MR. SPEAKER : You want a shipyard for Punjab ? He will, certainly, consider it.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Punjab is a part of India; I am in India.

12.41 HRS.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 AND GOVERNMENTS' REPLY THERETO

श्री भोगेन्द्र झा (**जयनगर**) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 जुलाई, 68 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिलसिले में माननीय मित्र श्री रामावतार शास्त्री, श्री एस० एम० जोशी, मैं तथा अन्य सदस्यों ने बिहार में—"अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण पटना मैडीकल कालेज की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा पटना और रांची में कई व्यक्तियों के घायल हो जाने के ऊपर माननीय गृह मन्त्री का ध्यान दिलवाया था। जब मैंने जोर दिया "वह कहते हैं कि लाठी नहीं चलाई गई है और मैं कहता हूं कि वहां पर लोग घायल पड़े हुए हैं।" तो श्री शुक्ला ने कहा कि यह "सभी इल्जाम लगाये गये थे और बिहार सरकार ने असत्य कह कर इनका खण्डन किया है।" अपने जवाब के अन्त में उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा "बिहार सरकार से जो सूचना मिली है वह ठीक है। इसलिए उसमें कोई जांच करने का प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।" उसी दिन राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 356 के मुताबिक बिहार के बारे में जारी किये गये दिनांक 29 जून, 68 के अध्यादेश पर बहस के सिलसिले में मैंने अपने भाषण के क्रम में कहा था—"सरकार की ओर से कहा गया है कि रांची में लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है जिसमें 15-16 महिलाएं घायल हुई हैं और एक महिला हास्पिटल में अभी है।" इसी पृष्ठिभूमि में मैंने कहा—मैं चाहता हूं कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल वहां पर उस घटना की जांच करने के लिए जाये। अगर यह साबित हो जाय कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ तो गृह मन्त्री महोदय इस्तीफा दे दें और अगर यह बात गलत साबित हो जाय तो मैं पूरी गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं।" परन्तु इसके बावजूद गृह मन्त्री महोदय ने न तो इस तथ्य को कबूल किया और न उसकी जांच कराने को ही वह तैयार हुए। मैं, श्री रामावतार शास्त्री, श्री लखनपाल कपूर, श्री भगवानदास इसी सिलसिले में पटना और रांची गये। कुछ दलों के प्रतिनिधि कुछ व्यक्तिगत असुविधाओं के चलते नहीं जा सके। हमारे सामने जो तथ्य आये उनके बारे में विस्तार में न जा कर बहुत ही संक्षेप में मैं आपके जरिये सदन के सामने कुछ सच्चाई को रखना चाहता हूं। दिनांक 25 जुलाई को राज्य मन्त्री श्री शुक्ल ने गलत कहा था कि पटना मैडीकल कालेज की महिला कर्मचारी श्रीमती गुलबिया की मृत्यु के पहले किसी ने उसके मारे जाने या चोट लगने की सूचना नहीं दी थी। इस सम्बन्ध में बिहार अराजपत्रित कर्मचारी

[श्री जोगेन्द्र झा]

महासंघ के महामन्त्री श्री जोगेश्वर गोप द्वारा लिखित दिनांक 12-7-68 के एक पत्र का हवाला मैं देना चाहता हूं जो उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को लिखा था।

उस पत्र में श्री गोप ने लिखा था "पुलिस ने लक्ष्मीदेवी, गुलबिया, तितरी, बिन्दा आदि मेहतरानी को गाली-गलोज किया है और पीटा भी है। दिनांक 19 जुलाई को 5 बज कर 15 मिनट भोर में श्रीमती गुलबिया का देहान्त हो गया। लगभग पौने तीन बजे तक दिन में लाश अस्पताल में ही थी। परन्तु उसकी पोस्टमार्टम की जांच न हुई जब कि माननीय राज्य मन्त्री के जवाब के मुताबिक भी मृत्यु के कुछ घण्टा बाद ही श्री छब्बाराम ने पटना अस्पताल के अधीक्षक को पुलिस द्वारा श्रीमती गुलबिया के मारे जाने की सूचना दे दी थी। रांची एवं उसकी अगल-बगल का बच्चा-बच्चा जानता है कि बड़े पैमाने पर दिनांक 20-21 जुलाई को रांची (काके) मानसिक, अस्पताल के पास बेरहमी के साथ लाठीचार्ज हुआ। अनेकों पुरुष एवं महिला कर्मचारियों को घायल किया गया। 22 तारीख के 4–5 बजे भोर में अनेकों कर्मचारियों के घरों में किवाड़ी तोड़ कर पुलिस घुसी और मारते पीटते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की हाजत में हाथ-पैर बांध कर उनमें से कई को पुराने बर्बर तरीके से पीटा। काके थाना के दरोगा श्री कृष्ण प्रसाद ने रांची सदर थाना के दरोगा को लिखा— "जब मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आदेश दिया कि भीड़ को खदेड़ कर भगा दो और हमने उत्तर में तथा दक्षिण की तरफ लोगों को खदेड़ना शुरू किया.....। कई लोगों ने पुलिस के हाथ से लाठी भी छीनने की कोशश की जबकि पुलिस उन्हें खदेड़ रही थी तो वह उसके लिए लाठी भी चला रही थी और भीड़ के कुछ लोग उससे घायल भी हुए होंगे।" तो पुलिस ने अपने विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक भी लाठियां चलीं और कई लोग घायल हुए। उस रिपोर्ट की एक सच्ची प्रतिलिपि यहां मौजूद है। दिनांक 21 जुलाई को ही लाठी से घायल 19 अराजपत्रित कर्मचारियों का रांची सदर अस्पताल में इलाज किया गया और उनमें से दो को संगीन घाव रहने के कारण भर्ती भी किया गया। एक श्री प्रेममसी (वार्डर) जिनके दायें पैर की हड्डी टूट गई और दूसरी श्रीमती राहिल कुंजरू जिनके मस्तिष्क की हड्डी तोड़ दी गई और जो दिनांक 28 जुलाई तक अर्ध-बेहोशी की हालत में रांची सदर अस्पताल में भर्ती थी और अभी भी वह अस्पताल में ही भर्ती होंगी। इतनी गहरी चोट थी कि वह जी सकेगी और स्वस्थ हो सकेगी इसमें भी सन्देह है। रांची सदर अस्पताल के अधिकारियों ने दिनांक 21 जुलाई को ही उपरोक्त घायल व्यक्तियों के बारे में लिखित सूचना पुलिस अधिकारी को दे दी। उन उन्नीस घायल व्यक्तियों की एक सूची मेरे पास है। रांची केन्द्रीय कारावास में 47 सरकारी कर्मचारी दिनांक 28 जुलाई को बन्द थे और उनमें 8 बुरी तरह घायल हैं। कुछ के लिए तो अपने पैर पर खड़ा होना भी आसान नहीं। श्री राम दास, श्री विदेशी, मलिना, श्री महादेव राय, शेख महरबानी, श्री रामचन्द्र राय, शिवराम सन्नीराम, अमुस भिख्खू इत्यादि को दिनांक 22 की 4–5 बजे भोर में घर की किवाड़ी तोड़ कर मारपीट कर के गिरफ्तार किया गया और पुलिस की हाजत में ले जाकर हाथ-पैर बांध कर पचासों बार लाठी चलाकर पीटा गया। उस बंधी हुई हालत में तलवे में लाठियों से इस तरह पीटा गया था कि सूजे हुए तलवों को देख कर हम लोग हैरत में पड़ गये। मुहम्मद हुसैन नामक एक कम्पाउण्डर के घर में 4 बजे भोर में घुस कर इस तरह मारपीट की गई और उसकी 9 महीने की एक बच्ची अमीना को भी इस निर्दयता के साथ पटका गया कि उसका मस्तिष्क सूज गया था और वह बेचैन थी।

दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर लाठी चार्ज हुए जिसे हजारों व्यक्तियों ने आंखों से देखा, किन्तु पूरी तरह इन्कार कर संसद को और इसके जरिये सारे देश को अंधकार में रखने का प्रयास हुआ । यह बात खास तौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बिहार में वैधानिक शासन का अन्त कर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है और संसद को छोड़ कर दूसरा कोई स्थान नहीं है जहां जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि इस तरह के जोर-जुल्म के निराकरण का रास्ता ढूंढ़ सकें । राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पहले महीने के अन्दर ही इस तरह का लाठी राज्य कायम कर दर्जनों की तादाद में महिला अराजपत्रित कर्मचारियों को घायल कर और एक का खून कर तथा पच्चीसों पुरुष कर्मचारियों को घायल कर ऐसी हालत पैदा कर दी गई है कि लोग शशंकित हैं कि ऐसी हालत में निष्पक्ष चुनाव कैसे सम्भव हो सकेगा । और स्वतन्त्र मत-दान के आधार पर जनतांत्रिक सरकार की स्थापना कैसे हो सकेगी । रांची जिले में ही जैसा कि सदन में 25 जुलाई को मैंने जिक्र किया था दतुअन तोरने के कारण हुए विवाद पर एक आदिवासी की गोली से हत्या कर दी गई । दिनांक 20-21 जुलाई के लाठीचार्ज द्वारा घायल हुए व्यक्तियों में श्रीमती सलौनी संगा, श्रीमती सलैस्तिना कुंजरू, श्रीमती दुख्खू, श्रीमती वैलेन्दिना दिग्गा, श्रीमती विश्वासी कुंजरू, श्रीमती सारा भिन्ज, श्रीमती मक्डली भिन्ज, श्रीमती राहिल कुंजरू इत्यादि अनेकों गादिवासी महिला कर्मचारियों को निर्दयता के साथ लाठियों से घायल कर जो हालत पैदा कर दी गई है उसने शोषित और अपेक्षित आदि-वासी जनता के असंतोष की आग में घी डालने का काम किया है । इस अमानु-षिक प्रवृत्ति को रोकने के बजाय, सत्य को कबूल करने, न्यायायिक जांच बैठा कर गल्तियों का सुधार करने की बजाय राज्य मंत्री श्री शुकला ने असत्य का रास्ता अपना कर इस संसद के विशेषाधिकार का हनन किया है । बिहार में अभी पुलिस एवं कार्यपालिका के कुछ बड़े अधिकारी वैधानिक शासन के खातमें पर जसन मना रहे हैं । और उन्होंने समझ लिया कि अभी वह बेरोकटोक लाठी गोली का राज चला सकते हैं श्रीमती गुलबिया का खून, श्रीमती राहिल कुंजरू की मृतप्राय अवस्था और दर्जनों माताओं और बहनों का घायल होना इस मनोवृत्ति का परिचायक है ? इस पर पर्दा डाल कर राज्य मन्त्री श्री शुक्ला ने जनतांत्रिक पद्धति, पार्लियामेंटरी जनतन्त्र पर से ही लोगों का विश्वास हिलाने का प्रयास किया है । पटना एवं रांची के लाठी काण्डों की न्यायायिक जांच कराने का शीघ्र आदेश दिया जाय । लाठी चार्ज से इन्कार करते हुए असत्य प्रतिवेदन भेजने वाले अधिकारियों को नौकरी से मुअत्तिल किया जाय । रांची के पुलिस एवं कार्यपालक अधिकारियों को जो लाठी चार्ज के लिये जिम्मेदार हैं शीघ्र वहां से स्थानान्तरण कर दिया जाय । श्रीमती गुलबिया के अबोध बच्चों के लालन-पालन के लिए मुआवजा दिया जाय तथा इन कदमों को शीघ्र उठा कर हमारी संसद की प्रतिष्ठा एवं लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा की जाय । इस मामले को दलगत हितों की दृष्टि से न देख कर सार्वजनिक लोकतन्त्र के हित में ऐसा निर्णय किया जाय । यह मेरा आग्रह है । इस बारे में कुछ तस्वीरें ली गई हैं जो कि घायल व्यक्तियों की हैं । अगर आप आदेश दें तो.....

MR. SPEAKER : Will the hon. Member kindly sit down now ? Now and then I have been a little liberal with hon. Members when they make such statements, but they should not take advantage of it and go on reading page after page. The statement should be short and factual. I requested the hon. Member to reduce it, but he was not in a mood, and, therefore, I had allowed him to read so much.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने

25 जुलाई, 1968 को पटना मेडिकल हास्पिटल की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु तथा अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से सम्बन्धित घटनाओं पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य दिया था । श्री भोगेन्द्र झा के वक्तव्य की एक प्रतिलिपि प्राप्त होने पर मैं ने पुन: राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये हैं । राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गुलाबिया का शव 19 जुलाई, 1968 को प्रात: उसके पति को दे दिया गया था । श्री गोप द्वारा लिखे गये पत्र के तथ्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं । 25 जुलाई, 1968 के अपने वक्तव्य में मैंने पहले ही व्यक्त किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अन्तर्गत एक निजी शिकायत की जांच सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट पटना के आदेशों के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले ही की जा रही है ।

रांची की घटना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से एक और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है । माननीय सदस्य के वक्तव्य में दी गई सूचना भी राज्य सरकार को भेज दी जायेगी ताकि हमें इस सदन में उठाई गई सभी बातों पर एक पूर्ण रिपोर्ट मिल सके । हमें अब तक की उपलब्ध सूचना के आधार पर रांची में हुई घटना की एक न्यायिक जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है । एक प्राइवेट शिकायत के आधार पर श्रीमती गुलाबिया की मृत्यु के कारणों पर एक मैजिस्ट्रेट द्वारा पहले ही जांच की जा रही है और इसलिए उसके निष्कर्षों की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सन्तोषजनक नहीं है ।

MR. SPEAKER : That may be so. I cannot help it.

13 HRS.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha Reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Re : NOTICES AGAINST DEPUTY PRIME MINISTER

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही जरूरी मामले में जानकारी चाहता हूं । यह मैं इसलिए चाहता हूं कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं । मुझे सिर्फ जानकारी चाहिये । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

आप जानते हैं कि श्री मोरारजी देसाई के बारे में मैंने स्पीकर साहब के पास एक प्रस्ताव भेजा है और पांच छः वैकल्पिक प्रस्ताव भी भेजे है । श्री मोरारजी देसाई के द्वारा सदन का अपमान किया गया है, सदन में गलत बयानी हुई है (**इंतरप्शंज**) । मुझे स्पीकर साहब ने कहा था कि सारे कागजात उन्होंने प्रधान मंत्री को भेजे हैं । मैंने तीन दस्तावेज भी फोटोस्टेट कापीज भी उनको दी हैं । मैं चाहता हूं कि मुझे केवल इतना ही बताया जाए कि क्या प्रधान मंत्री ने जवाब भेजा है ? मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिये मुझे जानकारी चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I do not know anything about it. How am I expected to reply ? He wants information. Have you any information ? I have no information.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : The Speaker was here. He could have have raised the matter then, but he did not do that.

श्री मधु लिमये : माफ करिये मैं यहां पर नहीं था । मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ।